

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

मिथलेश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना एवं मधेपुरा।

पटना-15, दिनांक-.....मार्च, 2019

विषय :-

विभागीय आवंटन आदेश संख्या-27 दिनांक-16.05.2018 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें- 00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0005-गणतंत्र, स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य राजकीय समारोह के अंतर्गत विपत्र कोड-04-2070001150005 रु० 40,00,000/- (चालीस लाख रुपये) मात्र का दिनांक-31.03.2019 तक व्यय हेतु द्वितीय आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब० 15/बी०एस०जी०-19/2017-428/वि० दिनांक-31.03.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0005- गणतंत्र, स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य राजकीय समारोह, विषय शीर्ष 20 02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार, विपत्र कोड-4-2070001150005 के अंतर्गत रु० 1,20,00,000/- (एक करोड़ बीस लाख रुपये) मात्र का बजट उपबंध किया गया है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक-ब० 15/बी०एस०जी०-19/2017-428/वि० दिनांक-31.03.2017 के आलोक में व्यय हेतु रु० 40,00,000/- (चालीस लाख रुपये) मात्र की राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है।

विषय शीर्ष	आय-व्ययक अनुमान (वर्ष 2018-19)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व में आवंटित राशि	इस पत्र के द्वारा दिया जा रहा आवंटन	कुल आवंटन
01	02	03	04	05	06
20-अन्य प्रशासनिक व्यय 0005.20. 02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	1,20,00,000	जिला पदाधिकारी, पटना	54,00,000	25,00,000	79,00,000
		जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	75,000	15,00,000	16,50,000
योग-04-2070.00. 115.0005-गणतंत्र, स्वतंत्रता दिवस	1,20,00,000 (एक करोड़ बीस लाख) रु०		55,50,000 (पच्चपन लाख पचास हजार) रु०	40,00,000 (चालीस लाख) रु०	95,50,000 (पंचानवे लाख पचास हजार) रु०

3. आवंटित राशि का व्यय मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-115-अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि-0005-गणतंत्र, स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य राजकीय समारोह विपत्र कोड - 4-2070001150005 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विकलनीय होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के विपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

5. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

6. प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विषयशीर्षवार व्यय तथा अवशेष आवंटन का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(मिथिलेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- प्र०-7/ए०नया०/बजट-08-12/18..... पटना-15, दिनांक-.....मार्च, 2019

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- प्र०-7/ए०नया०/बजट-08-12/18..... पटना-15, दिनांक-.....मार्च, 2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- प्र०-7/ए०नया०/बजट-08-12/18.....³¹..... पटना-15, दिनांक-.....¹³.....मार्च, 2019

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/आई०टी०मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।